

प्रावधिक मान्यता प्रमाण पत्र

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल,
गोमन्तिका परिसर, तृतीय तल, जवाहर चौक, भोपाल

क्रमांक / म.प्र.न.र.क. / 26 /

भोपाल, दिनांक : 03/09/2026

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत **R.D. Memorial School of Nursing (07109) bhopal, BARKHEDI KALAN BHADBHADA ROAD Run By society/Trust Name , SHRI CHITRAGUPT SHIKSHA PRASAR SAMITI** पंजीयन क्रमांक **A260156** को निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करता है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक सत्र	छात्र संख्या	चार साल की मान्यता
1	B.Sc. (Renewal)	2026-27	60	2025
2	G.N.M. (Renewal)	2026-27	40	2025
3	M.Sc. (Nursing) Medical Surgical Nursing (Renewal)	2026-27	5	2025
4	M.Sc. (Nursing) Community Health Nursing (Renewal)	2026-27	5	2025
5	M.Sc. (Nursing) Obstetric Nursing (Renewal)	2026-27	5	2025
6	M.Sc. (Nursing) Pediatric Nursing (Renewal)	2026-27	5	2025
7	M.Sc. (Nursing) Psychiatric Nursing (Renewal)	2026-27	5	2025
8	P.B B.Sc. (Renewal)	2026-27	40	2025

मान्यता की शर्त:-

- यह मान्यता "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018" एवं "संशोधित नियम" के तहत शासित है ।
- सभी पाठ्यक्रमों के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल में रजिस्ट्रेशन के पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं पाठ्यक्रम अनुसार इंटर्नशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।
- संस्था द्वारा छात्र अथवा उस के पालक से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न फीस / शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:-
(अ) प्रवेश, शिक्षण, विकास / संधारण, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, आदि शुल्क के लिए समय-समय पर राज्य प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि ।
(ब) पंजीयन परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की अंकसूची / प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल / संबंधित विश्वविद्यालय म.प्र. द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि ।
- यह मान्यता स्वयं की घोषणा के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी ।
- मान्यता प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति/माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेशों के अधीन रहेगा ।
- उक्त प्रावधिक मान्यता मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 व संशोधित नियमों के तहतसर्तर्त दी जा रही है। भविष्य में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में उक्तमान्यता निरस्त की जा सकती है। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित संस्था की होगी।
- यह मान्यता आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत स्व प्रमाणित शपथ पत्र के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाए जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Upendra Dhote
Date: 2026.09.03 16:23:52 IST
Reason: मान्यता प्रमाणपत्र
Location: Bhopal(MP)

दिनांक :- 03/09/2026

हस्ताक्षर

डॉ. उपेंद्र धोटे

रजिस्ट्रार